

दि०-20.07.2023

सत्र परीक्षण सं० 738/11 राज्य बनाम श्रीराम केसरवानी, अंतर्गत धारा-272,275 भा०दं०सं०, थाना कुण्डा, जिला प्रतापगढ की पत्रावली प्रस्तुत हुई।

पुकार करायी गयी। कोई पक्षकार उपस्थित नहीं आये। अधिवक्तागण न्यायिक कार्य हेतु न्यायालय मे उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत पत्रावली से संबंधित सत्र परीक्षण 201/15 राज्य बनाम श्रीराम केसरवानी अंतर्गत धारा-7/16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम थाना-कुण्डा अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-2 मे लंबित है। दोनो प्रकरण मे घटना एक ही है। इसलिये दोनो पत्रावलियों का निस्तारण एक न्यायालय द्वारा ही किया जाना न्यायोचित है। इस संबंध मे माननीय सत्र न्यायाधीश को पत्र प्रेषित किया जावे। पत्रावली दि० 03.08.2023 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश हों।

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी-1,
प्रतापगढ